

1 अप्रैल 2017

ग्राहकों के लिए सूचना

प्रिय ग्राहक,

विषय: ₹2 लाख और अधिक की नकद जमा पर निषिद्धता

आयकर कानून की धारा 269 एसटी के अनुसार किसी भी व्यक्ति से बैंक खाते के जरिए अकाउंट पेयी चेक या अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के उपयोग के अलावा नकद रूप में ₹2 लाख या अधिक की राशि जमा नहीं की जाएगी:

- 1) एक दिन में किसी व्यक्ति से कुल मिलाकर या
- 2) एकल लेन-देन के संदर्भ में (जो अनेक दिनों के दौरान हो सकता है) या
- 3) किसी व्यक्ति से एक मामला या एक अवसर से संबंधित लेन-देन के संदर्भ में

उपरोक्त निषिद्धता ऊपर वर्णित ग्राहकों द्वारा किए गए सभी लेन-देनों के लिए लागू है. इसीलिए, हमारे पास किसी व्यक्ति के सभी लोन अकाउंट्स में नकद स्वरूप में एक दिन में किसी ग्राहक से होने वाली समग्र प्राप्ति ऊपर वर्णित सीमा से अधिक नहीं हो सकती.

उपरोक्त विनियामक बदलाव को ध्यान में रखते हुए, जहाँ भी आपका भुगतान ₹2 लाख या उससे अधिक है वहाँ पर आपसे निम्नलिखित विकल्पों में से एक को चुनने का निवेदन किया जाता है:

लोन का प्रकार	चेक/ड्राफ्ट (के पक्ष में)	इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर
<ul style="list-style-type: none"> ■ टू व्हीलर ■ फोर व्हीलर ■ फार्म ■ कंस्ट्रक्शन (निर्माण) ■ कमर्शियल वेहिकल 	एल&टी फायनांस लि.	शाखा कर्मचारी/ सर्विस टीम से संपर्क करें
<ul style="list-style-type: none"> ■ होम लोन 	एल&टी हाउसिंग फायनांस लि.	

किसी भी पूछताछ, प्रतिक्रिया या सहायता के लिए कृपया हमारी सर्विस टीम से 1800-209-4747 (टोल फ्री) पर संपर्क करें

एल&टी फायनांशियल सर्विसेस

L&T Housing Finance Limited

Plot No. 177, Vidyanagari Marg
CST Road, Kalina,
Santacruz (East)
Mumbai 400098, India

Registered Office

L&T House, NM Marg
Ballard Estate
Mumbai 400 001
CIN: U45200MH1994PLC259630

T +91 22 66217300/400
F +91 22 66217515

www.ltfs.com